2022 का विधेयक संख्यांक 177.

[दि एनर्जी कंजर्वेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2022 का हिन्दी अनुवाद]

ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हों :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

धारा 2 का संशोधन । 2001 का 52

2. ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—

(i) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) "भवन" से ऐसी कोई संरचना या परिनिर्माण या संरचना या परिनिर्माण का भाग अभिप्रेत है—

(i) धारा 14 के खंड (त), के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा और धारा 15 के खंड (क) के अधीन राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण और संधारणीय निर्माण संहिता से संबंधित नियमों के अधिसूचित किए जाने के पश्चात् संनिर्मित हैं;

(ii) जिसमें 100 किलोवाट (के डब्ल्यू) का संयोजित भार या 120 किलोवाट का ऐम्पियर (के वी ए) जिसकी मांग संविदा है, और

(iii) जिसका वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए या कार्यालय भवनों के रूप में या आवासीय प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग किए जाने के लिए आशयित है:

परंतु राज्य सरकार उपरोक्त विनिर्दिष्ट भार या मांग से निम्न संयोजित भार या मांग संविदा विनिर्दिष्ट कर सकती है ।"

(ii) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(घक) "कार्बन साख प्रमाणपत्र" से केन्द्रीय सरकार द्वारा या धारा 14कक के अधीन किसी प्राधिकृत अभिकरण द्वारा जारी प्रमाणपत्र अभिप्रेत है ;

(घख) "कार्बन साख व्यापार स्कीम" से धारा 14 के खंड (ब) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए स्कीम अभिप्रेत है;" ;

(iii) खंड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ज) "ऊर्जा" से जीवाश्मी ईंधनों या गैर जीवाश्मी स्रोतों या नवीकरणीय स्रोतों से किसी रुप में ऊर्जा अभिप्रेत है;";

(iv) खंड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(झक) "ऊर्जा संपरीक्षकों" से कोई ऐसा व्यष्टि अभिप्रेत है जिसके पास धारा 14 के खंड (ड) के अधीन विहित अर्हताएं हैं;

(v) खंड (ञ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ञ) "ऊर्जा संरक्षण और संधारणीय निर्माण संहिता'' से वह संहिता जो ऊर्जा दक्षता और इसके संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग और निर्माण के लिए अन्य हरित निर्माण अपेक्षाओं के लिए मानों और मानक प्रदान करता है, अभिप्रेत है;''; ।

(vi) खंड (थ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(थक) "रजिस्ट्रीकृत इकाई" से कोई इकाई सहित धारा 14 के खंड (ब) के अधीन विनिर्दिष्ट कार्बन साख व्यापार स्कीम के लिए अभिहित उपभोक्ता अभिप्रेत है;';

(vii) खंड (न) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1988 का 59 '(नक) "यान" का वही अर्थ होगा जो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (28) में है ;

(नख) "जलयान" से अंतर्देशीय जल जिसके अंतर्गत कोई पोत, नाव, चलतयान, टग, बार्ज भी है या अन्य प्रकार के जलयान जिसमें गैर विस्थापन यान, जलस्थलीय यान, विंग-इन-ग्रांउड यान, फेरी, रोल-आन-रोल-आफ जलयान, आघान जलयान, टैंकर जलयान, गैस वाहक या अस्थाई यूनिट या परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले डम्ब, अंतर्देशीय जल के भीतर या उसके माध्यम से भंडारण या आवास सम्मिलित हैं ;'।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 में,— धारा 4 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में "बीस, किन्तु छब्बीस से अनधिक" शब्दों के स्थान पर "इकतीस, किन्तु सैंतीस से अनधिक" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में,—

(i) खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(छक) भारत सरकार का ऐसा सचिव, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का भारसाधक है - पदेन सदस्य ;

(छख) भारत सरकार का ऐसा सचिव, जो आवासन और शहरी कार्य से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का भारसाधक है - पदेन सदस्य ;

(छग) भारत सरकार का ऐसा सचिव, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का भारसाधक है - पदेन सदस्य ;

(छघ) भारत सरकार का ऐसा सचिव, जो इस्पात से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का भारसाधक है - पदेन सदस्य ;

(छङ) भारत सरकार का ऐसा सचिव, जो नागरिक उड्डयन से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का भारसाधक है -

पदेन सदस्य ;

(छच) भारत सरकार का ऐसा सचिव, जो पत्तन पोत परिवहन, जलमार्ग से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का भारसाधक है -पदेन सदस्य ;

(छछ) रेलवे बोर्ड का सदस्य (ऊर्जा का भारसाधक), रेल मंत्रालय - पदेन सदस्य ;";

(ii) खंड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(डक) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का महानिदेशक, प्रचार उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय - पदेन सदस्य ;";

(iii) खंड (ण) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ण) पांच राज्यों से ऊर्जा या विद्युत विभागों से पांच विद्युत क्षेत्रों से एक-एक अधिकारी, जो राज्य सरकार के मुख्य सचिव की पंक्ति से नीचे का नहीं है, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा -सदस्य;";

(iv) खंड (त) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(त) केन्द्रीय सरकार द्वारा उन व्यक्तियों में से जो केन्द्रीय सरकार की राय में, उद्योग, उपस्कर और साधित्र, विनिर्माता, वास्तुविद, संस्थानों और उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने में विशेषज्ञ या सक्षम है, सदस्यों के रुप में नियुक्त किए जाने वाले सात से अनधिक उतने व्यक्ति जो विहित किए जाएं - सदस्य;";

धारा 13 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 13 की, उपधारा 2 में,—

(i) खंड (क) में "धारा 14" शब्दों और अंकों के पश्चात् "और इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन विहित किए गए अपेक्षित अन्य मानकों" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (घ) में, "ऊर्जा संरक्षण निर्माण संहिता" शब्दों के स्थान पर "ऊर्जा संरक्षण और संधारणीय निर्माण संहिता" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (ज) में "संप्रवर्तन" शब्दों के पश्चात् "या परिवचन" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iv) खंड (न) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा ; अर्थात् :—

"(नक) किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था या संगठन के साथ सहयोग करने के लिए या केन्द्रीय सरकार के साथ परामर्श से ब्यूरो के समान उद्देश्यों

वाले निकायों की सदस्यता प्राप्त करना ;

"(नख) ऐसे प्रयोजनों और ऐसे निबंधनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए, ब्यूरो के किसी कार्य को जारी रखने के लिए देश या देश से बाहर किसी अभिकरण को प्राधिकृत करना, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ;

(नग) धारा 14 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए नमूनों को परीक्षण करने के लिए, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसी तकनीकी अर्हताओं को पूरा करने वाले उपक्रम या किसी अन्य निकाय को प्राधिकृत करना ;

(नघ) अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रारंभ की गई ऊर्जा दक्षता और कार्बन साख व्यापार क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करना ;

(नड.) धारा 14 में खंड (ब) के अधीन अधिसूचित कार्बन साख व्यापार स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाने वाली अपेक्षाओं पर केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करना ;

(नच) नामनिर्दिष्ट उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा या फीडस्टाक के रुप में गैर जीवाश्मी स्त्रोतों के उपभोग के न्यूनतम हिस्से की सिफारिश करना ;"।

5. मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 13क का अंतःस्थापन ।

"13क. (1) कोई भी व्यक्ति, ब्यूरो की पूर्व अनुमति के बिना, किसी भी नाम का उपयोग नहीं करेगा, जो ब्यूरो के नाम से इतना मिलता-जुलता हो कि जनता धोखे में या धोखे की संभावना में पड़ जाए । प्रवंचक नाम, आदि के उपयोग का प्रतिषेध ।

(2) तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी किसी कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के कोई अन्य निकाय जो ब्यूरो के नाम से मिलता-जुलता कोई नाम या चिन्ह को रजिस्ट्रीकृत नहीं करेगी ।"।

6. मूल अधिनियम की धारा 14 में,— धारा 14 का संशोधन ।

(i) खंड (क) में "या साधित्र" शब्दों के स्थान पर "साधित्र, यान, जलयान, औद्योगिक इकाई, भवन या स्थापन" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) में, "उपस्करों या साधित्रों के वर्ग" के स्थान पर "यान, जलयान, औद्योगिक इकाई, भवन या स्थापन" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ग) खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी उपस्कर या साधित्र या यान या जलयान के विनिर्माण या आयात को तब तक के लिए प्रतिषिद्ध कर सकेगी, जब तक कि यह खंड (क), के अधीन विनिर्दिष्ट ऊर्जा उपभोग

के मानकों के अनुरुप न हों :

परन्तु खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट औद्योगिक इकाई अपने प्रचालनों को तब तक बंद करेगी जब तक कि यह खंड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के लिए मानों या ऊर्जा उपभोग के मानकों के अनुरुप न हों :

परंतु यह और कि खंड (क) के अधीन प्रक्रियाओं के लिए मान और ऊर्जा उपभोग के मानकों की अधिसूचना की तारीख से, ऐसे विनिर्माण या आयात को प्रतिषिद्ध करने वाली कोई अधिसूचना—

(i) ऐसे उपस्कर या साधित्र या यान या जलयान की दशा में छह मास की अवधि के भीतर; और

(ii) औद्योगिक इकाई के प्रकटीकरण के लिए दो वर्ष की अवधि के भीतर,

जारी नहीं की जाएगी :

परंतु यह भी कि केन्द्रीय सरकार, बाजार, शेयर और उपस्कर या साधित्र या यान या जलयान पर समाघात करने वाले प्रौद्योगिकीय विकास को ध्यान में रखते हुए और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, उपरोक्त में निर्दिष्ट छह मास की उक्त अवधि को, छह मास से अनधिक की और अवधि के लिए विस्तारित कर सकेगी ;

(iv) खंड (च) में, "ऊर्जा गहनता उद्योगों" शब्दों के पश्चात् "और अन्य स्थापनों" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(v) खंड (ज) में, "ऊर्जा गहनता उद्योगों" शब्दों के पश्चात् "और अन्य स्थापनों" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(vi) खंड (ठ) में "ऊर्जा प्रबंधक" शब्दों के स्थान पर "ऊर्जा संपरीक्षक या ऊर्जा प्रबंधक" शब्द रखे जाएंगे ;

(vii) खंड (त), खंड (थ) और खंड (द) ''ऊर्जा संरक्षण निर्माण संहिता'' शब्दों के स्थान पर ''ऊर्जा संरक्षण और संधारणीय निर्माण संहिता'' शब्द रखे जाएंगे;

(viii) खंड (फ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(ब) कार्बन साख व्यापार स्कीम को विनिर्दिष्ट करना ;

(भ) अभिहित उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा या फीडस्टाक के रुप में गैर-जीवाश्मी स्त्रोतों के उपभोग का न्यूनतम हिस्सा विनिर्दिष्ट करे, परंतु उपभोग के विभिन्न हिस्से विभिन्न अभिहित उपभोक्ताओं के लिए गैर जीवाश्मी स्त्रोतों के विभिन्न प्रकारों के लिए विनिर्दिष्ट किया जा सकते है ;"।

धारा 14क का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 14क में,—

(क) पार्श्व टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र का जारी किया जाना ।";

(ख) उपधारा (1) में, "केन्द्रीय सरकार" शब्दों के पश्चात् "या इसके द्‌वारा प्राधिकृत कोई अभिकरण" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ग) उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु कोई अन्य व्यक्ति भी स्वैच्छिक आधार पर ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र या कार्बन प्रत्यय प्रमाणपत्र खरीद सकेगा ।"।

नई धारा 14कक का अंतःस्थापन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 14क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कार्बन प्रत्यय प्रमाणपत्र जारी करना।

"14कक. (1) केन्द्रीय सरकार या उसके द्‌वारा प्राधिकृत कोई अभिकरण, किसी रजिस्ट्रीकृत इकाई को कार्बन प्रत्यय प्रमाणपत्र जारी कर सकेगी जो कार्बन प्रत्यय व्यापार स्कीम की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है ।

(2) रजिस्ट्रीकृत इकाई धारा 14 के खंड (ब) के अधीन विनिर्दिष्ट कार्बन प्रत्यय व्यापार स्कीम के अनुसार कार्बन प्रत्यय प्रमाणपत्र क्रय करने या विक्रय करने का हकदार होगा ।"।

धारा 15 का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 15 में,—

(i) खंड (क) में,—

(I) "ऊर्जा संरक्षण निर्माण संहिता" के स्थान पर जहां-जहां ये शब्द आए हों उनके स्थान पर "ऊर्जा संरक्षण और संधारणीय निर्माण संहिता" शब्दों को रखा जाएगा ;

(II) "भवनों में ऊर्जा के उपयोग" शब्दों के पश्चात् "और राज्य की उपविधियों का निर्माण करते हुए इसे लागू करने" शब्दों को रखा जाएगा ।";

(ii) खंड (ख) में, "ऊर्जा सरंक्षण निर्माण संहिता" के स्थान पर "ऊर्जा संरक्षण और संधारणीय निर्माण संहिता" शब्दों को रखा जाएगा ;

(iii) खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(जक) ऐसी फीस उद्‌ग्रहीत कर सकेगी जो इस अधिनियम के अधीन ऊर्जा के प्रभावी उपयोग और इसके संरक्षण का संवर्धन करने के लिए अभिहित अभिकरण द्‌वारा दी गई सेवाओं के लिए विहित की जाए; "।

नई धारा 15क का अंतःस्थापन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 15 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

अभिहित अभिकरण का बजट ।

"15क. अभिहित अभिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जैसा विहित किया जाए, अगले वित्तीय वर्ष में अपने बजट, प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय दिखाते हुए तैयार करेगा और इसे राज्य सरकार

को अग्रेषित करेगा, जिसे वार्षिक बजट में शामिल किया जाएगा ।"।

धारा 16 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 16 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

राज्य सरकार द्वारा निधि की स्थापना ।

"16. (1) राज्य के भीतर ऊर्जा के दक्ष उपयोग और उसके संरक्षण के संप्रवर्तन के प्रयोजनों के लिए राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि के नाम से ज्ञात एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा—

(क) वे सभी अनुदान और उधार, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य संगठन अथवा व्यष्टिक द्वारा दिए जाएं ;

(ख) राज्य सरकार या अभिहित अभिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्राप्त सभी फीसें ;

(ग) राज्य सरकार या अभिहित अभिकरण द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी राशियां जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जाएं ।

(2) निधि का उपयोजन निम्नलिखित व्ययों को पूरा करने के लिए किया जाएगा—

(क) अभिहित अभिकरण में इसके कृत्यों के निर्वहन में हुए व्यय;

(ख) इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत या इसके अधीन उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए ।

(3) उपधारा (1) के अधीन सृजित निधि का प्रशासन ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति में किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित किया जाए ।"।

धारा 26 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 26 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

शास्ति ।

"26. (1) यदि कोई व्यक्ति धारा 14 के खंड (ज) या खंड (झ) या खंड (ट) अथवा खंड (ठ) या धारा 15 के खंड (ग) या खंड (ज) के उपबंधों के अनुपालन में असफल रहता है तो वह दस लाख रुपए से अनधिक की शास्ति का दायी होगा :

परन्तु असफलता जारी रहने की दशा में वह व्यक्ति ऐसी अतिरिक्त शास्ति का जो, प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, दस हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा ।

(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई व्यक्ति धारा 14 के खंड (ग) और खंड (घ) के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह दस लाख रुपए की शास्ति के अतिरिक्त, ऐसी अतिरिक्त शास्ति का भी दायी होगा जो प्रत्येक साधित्र या उपस्कर के लिए पांच हजार रुपए से अनधिक होगी जिसके संबंध में अननुपालन किया गया है, किन्तु वह दो हजार रुपए से कम नहीं होगी :

परन्तु जहां ऐसा अननुपालन किसी औद्योगिक इकाई, या जलयान से संबंधित हैं, तो वह अतिरिक्त शास्ति का भी दायी होगा जो विहित मानदंडों के आधिक्य में उपभोग किए गए समानुपाती प्रत्येक मीट्रिक टन तेल की कीमत के दुगने से अनधिक होगी :

परन्तु यह और कि यदि किसी यान का विनिर्माता ईंधन उपभोग मानदंडों का अनुपालन करने में असफल होता है तो वह निम्नानुसार तत्स्थानी वर्ष में विक्रय किए गए यानों की प्रति यूनिट अतिरिक्त शास्ति का संदाय करने का दायी होगा, अर्थात्:—

(i) प्रति 100 किलोमीटर 0.2 लीटर तक मानदंडों के अननुपालन के लिए प्रति यान पच्चीस हजार रुपए;

(ii) प्रति 100 किलोमीटर 0.2 लीटर से अधिक मानदंडों के अननुपालन के लिए प्रति यान पचास हजार रुपए।

(3) यदि कोई व्यक्ति धारा 14 के खंड (ढ) और खंड (भ) के अधीन जारी निदेशों का पालन करने में असफल रहता है, तो वह प्रत्येक ऐसी असफलता के लिए शास्ति का जो दस लाख रुपए से अधिक नहीं होगी का दायी होगा :

परन्तु वह ऐसी अतिरिक्त शास्ति का भी दायी होगा जो इस अधिनियम के अधीन विहित प्रत्येक मीट्रिक टन तेल की कीमत के तीन गुने के समानुपाती हो सकेगी जो विहित मानदंडों के अधिक्य में है ।

(4) यदि कोई व्यक्ति, धारा 13क की उपधारा (1) के उपबंधों का पालन करने में या धारा 52 के अधीन किसी सूचना को प्रदान करने में असफल रहता है तो वह पहली बार ऐसे अपालन या असफल रहने पर पचास हजार रुपए तक की शास्ति का दायी हो सकेगा :

परंतु वह प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपालन या असफलता के लिए, अतिरिक्त शास्ति देने का दायी होगी जो ऐसे अपालन या असफलता के प्रतिदिन के लिए दस हजार रूपए से अधिक नहीं होगी ।

(5) इस धारा के अधीन संदेय कोई रकम, यदि संदत्त नहीं की जाती है तो उसकी वसूली की जा सकेगी मानो वह भू-राजस्व का बकाया हो ।"।

नई धारा 27क का अंतःस्थापन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 27 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

राज्य आयोग की विनियम बनाने की शक्ति ।

"27क. (1) राज्य आयोग, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए विनियम बना सकेगा ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे—

(क) राज्य आयोग के समक्ष आवेदन करने की रीति और संदेय फीस;

(ख) कोई अन्य विषय जो अपने कृत्यों के प्रयोजनों के लिए राज्य आयोग द्वारा विनियमों द्वारा उपबंधित किया जाना है या किया जा

सकेगा :

परन्तु इस धारा के अधीन राज्य आयोग द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम, इसे बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जहां यह दो सदनों से मिलकर बनी है, या जहां ऐसी विधायिका एक सदन से मिलकर बनती है, उस सदन के समक्ष रखे जाएंगे ।"।

धारा 28 का संशोधन ।

14. मूल अधिनियम की धारा 28 में, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) उपभोक्ता को हुई हानि तथा उसके प्रतिकर की रकम ।"।

धारा 52 का संशोधन ।

15. मूल अधिनियम की धारा 52 में, "धारा 14 के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट उपस्कर या साधित्र का प्रत्येक अभिहित उपभोक्ता या विनिर्माता, ब्यूरो को ऐसी जानकारी देगा और किसी उपस्कर या साधित्र के संबंध में उपयोजित किसी सामग्री या पदार्थ के ऐसे नमूने देगा जिनकी ब्यूरो द्वारा अपेक्षा की जाए" शब्दों, कोष्ठकों, अक्षरों तथा अंकों के स्थान पर "इस अधिनियम के अधीन आने वाला प्रत्येक अभिहित उपभोक्ता या विनिर्माता या उपस्कर या साधित्र या कोई अन्य व्यक्ति या इकाई, ब्यूरो को ऐसी जानकारी, दस्तावेज या ऊर्जा उपभोग से संबंधित अभिलेख देगा और किसी उपस्कर या साधित्र के संबंध में उपयोजित किसी सामग्री या पदार्थ के ऐसे नमूने देगा जिनकी ब्यूरो द्वारा अपेक्षा की जाए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 56 का संशोधन ।

16. मूल अधिनियम की धारा 56 के उपखंड (2) में, खंड (ठ) में "ऊर्जा संरक्षण निर्माण संहिता" शब्दों के स्थान पर "ऊर्जा संरक्षण और धारणीय निर्माण संहिता" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 57 का संशोधन ।

17. मूल अधिनियम की धारा 57 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) में "ऊर्जा संरक्षण निर्माण संहिता" शब्दों के स्थान पर "ऊर्जा संरक्षण और धारणीय निर्माण संहिता" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"(खक) धारा 15 के खंड (जक) के अधीन ऊर्जा के प्रभावी उपयोग और इसके संरक्षण का संवर्धन करने के लिए अभिहित अभिकरण द्वारा दी जानी वाली सेवाओं के लिए उद्ग्रहीत की जानी वाली फीस;

(खख) धारा 15क के अधीन वह प्ररूप जिसमें और वह समय जब अभिहित अभिकरण का बजट तैयार किया जाएगा ;";

(iii) खंड ग में, "धारा (4)," शब्द, कोष्ठक और अंक के स्थान पर, "धारा (3)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 58 का संशोधन ।

18. मूल अधिनियम की धारा 58 में, उपधारा (2) के खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगें, अर्थात् :—

"(जक) धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (नख) के अधीन वे प्रयोजन तथा वे निबंधन और शर्तें जिनके अधीन कोई अभिकरण ब्यूरो के कृत्यों के कार्यान्वयन के लिए प्राधिकृत किया जा सकेगा ;

(जख) धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (नग) के अधीन नमूनों की जांच

करने के लिए तकनीकी अर्हता ;”।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

उर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 को ऊर्जा के दक्षतापूर्ण उपयोग और उसके संरक्षण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था । उक्त अधिनियम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना और निगमन और ऊर्जा के दक्षतापूर्ण उपयोग और उसके संरक्षण के लिए प्रवृत्त उपायों को केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को कतिपय शक्तियां प्रदान करने के लिए उपबंध करता है ।

(2) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 का ऐसे विभिन्न नए कारकों का समाधान करने के लिए संशोधन किया गया था जो गत कालावधि में ऊर्जा बाजार के विकास के साथ उत्पन्न हुए थे और ऊर्जा के अधिक दक्ष तथा प्रभावी उपयोग तथा उसके संरक्षण का उपबंध करने के लिए वर्ष 2010 में संशोधन किया गया था ।

(3) समय के व्यतीत होने के साथ और नए तथा नवीकरणीय ऊर्जा के और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के प्रोत्साहन पर विशेष संकेद्रण सहित ऊर्जा पारेषण के संदर्भ में - (i)-ग्लासगो 2021 में सी ओ पी-26 (दलों का सम्मेलन-26) में भारत द्वारा प्रस्तुत पांच नेक्टर तत्वों के रुप में "पंचामृत" की प्राप्ति को सुकर बनाने (ii) नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए घरेलू कार्बन बाजार के विकास का संवर्धन करने के लिए (iii) भारतीय अर्थव्यवस्था का तीव्रतर अकार्बनिकीकरण सुनिश्चित करने के लिए कार्बन व्यापार और गैर जीवाश्मी स्त्रोतों के अनिवार्य उपयोग जैसे नई धारणाओं को आरंभ करने के लिए तथा पेरिस करार तथा जलवायु परिवर्तन से संबंद्ध विभिन्न अन्य कार्रवाइयों के अनुरुप सतत विकास संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होने के लिए उक्त अधिनियम का और संशोधन करने का आवश्यकता हो गई है ।

(4) अभिहित उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा या फीडस्टॉक से गैर जीवाश्मी ऊर्जा स्त्रोतों का न्यूनतम उपभोग विहित करने के लिए विधिक उपबंधों की आवश्यकता पर विचार किया गया है । यह जीवाश्मी ईंधन आधारित ऊर्जा के उपभोग को कम करने और वातावरण में परिणामी कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में सहायक होगा । इसी प्रकार, प्राइवेट सेक्टरों द्वारा स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता क्षेत्रों में विनिधान बढ़ाने को उत्सर्जन में कमी के लिए कार्यों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कार्बन बाजार के लिए विधिक ढांचा प्रदान करने की आवश्यकता महसूस की जाती है ।

(5) ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022, अन्य बातों के साथ—

(क) ऊर्जा और फीडस्टॉक फीड स्टाक के लिए गैर-जीवाश्मी स्त्रोतों के उपयोग, जिसके अंतर्गत ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, बायोमास और इथेनाल भी है, के उपयोग को अनिवार्य;

(ख) कार्बन बाजार की स्थापना;

(ग) ऊर्जा संरक्षण व्यवस्था की परिधि में बड़े आवासीय भवनों को लाने;

(घ) ऊर्जा संरक्षण निर्माण संहिता की परिधि में वृद्धि;

(ड.) शास्ति उपबंधों में संशोधन ;

(च) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की शासी परिषद के सदस्यों की वृद्धि ;

(छ) राज्य विद्युत विनियामक आयोग के अपने कृत्यों के सुचारु निर्वहन के लिए विनियम बनाने को सशक्त करने का उपबंध करता है ;

6. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करता है ।

नई दिल्ली ; **आर. के. सिंह**

29 जुलाई, 2022

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 13, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 में एक नई धारा 27क अंत:स्थापित करने के लिए है, जिससे राज्य आयोग को, (क) राज्य आयोग के समक्ष आवेदन करने की रीति और संदेय फीस ; (ख) कोई अन्य विषय, जिसका राज्य आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा उपबंध किया जाए, के लिए उपबंध करने के लिए विनियम बनाने हेतु सशक्त किया जा सके ।

विधेयक का खंड 17, उक्त अधिनियम की धारा 57 की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है, जिससे राज्य सरकार को, ऊर्जा के दक्ष उपयोग और उसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नामनिर्दिष्ट अभिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए उद्गृहीत फीस के लिए नियम बनाने को, और प्ररूप, जिसमें और समय, जिस पर, नामनिर्दिष्ट अभिकरण का बजट तैयार किया जाएगा, को बनाने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 18, उक्त अधिनियम की धारा 58 के उपखंड (2) का संशोधन करने के लिए है, जिससे केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, प्रयोजनों के लिए विनियम बनाने के लिए, ब्यूरो को सशक्त किया जा सके और ऐसे निबंधन और शर्तों, जिनके अध्यधीन रहते हुए, अभिकरण को ब्यूरो के कृत्यों और नमूनों के परीक्षण की तकनीकी अर्हता का पालन करने के लिए प्राधिकृत किया जा सके ।

वे विषय, जिनके संबंध में नियम या विनियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरों के विषय हैं, अत: उनके लिए स्वयं विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अत:, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का अधिनियम संख्यांक 52) से उद्धरण

*	*	*	*	*	*

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

*	*	*	*	*	*

(ग) "भवन" से धारा 14 के खंड (त) और धारा 15 के खंड (क) के अधीन ऊर्जा संरक्षण निर्माण संहिता से संबंधित नियमों के अधिसूचित किए जाने के पश्चात् ऐसी कोई संरचना या परिनिर्माण अथवा संरचना या परिनिर्माण का भाग अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत कोई विद्यमान संरचना या परिनिर्माण अथवा संरचना या परिनिर्माण का भाग भी है जिसमें 100 किलोवाट (के डब्ल्यू) का संयोजित भार या 120 किलोवाट ऐमपियर (केवीए) और उससे अधिक की मांग संविदा है तथा जिसका वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग किए जाने के लिए आशयित है ;

*	*	*	*	*	*

(ज) "ऊर्जा" से जीवाश्मी ईंधनों, न्यूक्लीय पदार्थों या सामग्री, जल विद्युत से व्युत्पन्न किसी रूप में ऊर्जा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा या ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित विद्युत या ग्रिड से संबंधित जैवभार है;

*	*	*	*	*	*

(ञ) "ऊर्जा संरक्षण निर्माण संहिता" से उस क्षेत्र के, जिसमें ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, प्रति वर्गमीटर के रूप में अभिव्यक्त ऊर्जा उपभोग के मान और मानक अभिप्रेत हैं और इसमें निर्माण का अवस्थान भी है;

*	*	*	*	*	*

ब्यूरो का प्रबंध ।

4. (1) ब्यूरो के कार्यकलापों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंध शासी परिषद् में निहित होगा जो कम से कम बीस किन्तु छब्बीस से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी ।

(2) शासी परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

*	*	*	*	*	*

(ण) पांच विद्युत क्षेत्रों में से प्रत्येक से एक सदस्य जो उक्त क्षेत्र के राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे और जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे - सदस्य;

(त) केन्द्रीय सरकार द्वारा उन व्यक्तियों में से जो केन्द्रीय सरकार की राय में उद्योग, उपस्कर और साधित्र विनिर्माता, वास्तुविद् और उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हैं, सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले चार से अनधिक उतने व्यक्ति जो विहित किए जाएं - सदस्य;

*	*	*	*	*	*

अध्याय 4

ब्यूरो की शक्तियां और कृत्य

13. (1) * * * * *

(2) ब्यूरो ऐसे कृत्यों का निर्वहन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो उसे इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सौंपे जाएं तथा विशेषत: ऐसे कृत्यों और शक्तियों के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य करने के कृत्य और शक्तियां भी सम्मिलित हैं— ब्यूरो की शक्तियां और कृत्य ।

(क) धारा 14 के खंड (क) के अधीन अधिसूचित किए जाने के लिए अपेक्षित प्रक्रिया के लिए मान और ऊर्जा उपभोग मानक केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करना;

* * * * * *

(घ) धारा 14 के खंड (त) के अधीन ऊर्जा संरक्षण निर्माण संहिता के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विहित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाना;

* * * * * *

(ज) ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का संप्रवर्तन करना;

* * * * * *

अध्याय 5

ऊर्जा के दक्ष उपयोग और उसके संरक्षण को सुकर बनाने और प्रवर्तित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति

14. केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, ब्यूरो के परामर्श से— ऊर्जा के दक्ष उपयोग और उसके संरक्षण को प्रवर्तित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।

(क) ऐसे किसी उपस्कर या साधित्र के लिए जो ऊर्जा का उपभोग, उत्पादन, पारेषण या प्रदाय करता है, प्रक्रिया के लिए मान और ऊर्जा उपभोग के मानक विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(ख) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, उपस्कर या साधित्र अथवा उपस्करों या साधित्रों के वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(ग) खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट उपस्कर या साधित्रों के विनिर्माण या विक्रय या क्रय या आयात को तब तक के लिए प्रतिषिद्ध कर सकेगी जब तक कि ऐसा उपस्कर या साधित्र ऊर्जा उपभोग के मानकों के अनुरूप न हो :

परंतु इस धारा के खंड (क) के अधीन जारी की गई अधिसूचना की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर उपस्कर या साधित्र के विनिर्माण या विक्रय या क्रय या आयात का प्रतिषेध करने वाली कोई अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी :

परंतु यह और कि केन्द्रीय सरकार, बाजार, शेयर और उपस्कर या साधित्र पर समाघात करने वाले प्रौद्योगिकीय विकास को ध्यान में रखते हुए और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, पहले परंतुक में निर्दिष्ट छह मास की उक्त अवधि को छह मास से अनधिक की और अवधि के लिए विस्तारित कर सकेगी ;

* * * * * *

(च) अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऊर्जा गहनता उद्योगों की सूची में परिवर्तन कर सकेगी;

*   *   *   *   *   *

(ज) खंड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट उपभोग की गई ऊर्जा की मात्रा या ऊर्जा उपभोग के सन्नियमों और मानकों को ध्यान में रखते हुए, अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऊर्जा गहन उद्योगों को किसी प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षक द्वारा ऊर्जा की संपरीक्षा ऐसी रीति में और समय-अंतरालों पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, कराने के लिए निदेश दे सकेगी;

*   *   *   *   *   *

(ठ) किसी अभिहित उपभोक्ता को यह निदेश दे सकेगी कि वह ऊर्जा के दक्ष उपयोग और उसके संरक्षण के लिए क्रियाकलापों का प्रभारी ऊर्जा प्रबंधक अभिहित या नियुक्त करें और अभिहित अभिकरण को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में ऊर्जा उपभोग के स्तर के बारे में ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रिपोर्ट प्रस्तुत करे;

*   *   *   *   *   *

(त) ऐसे भवन या भवन प्रक्षेत्र में ऊर्जा के दक्ष उपयोग और उसके संरक्षण के लिए ऊर्जा संरक्षण निर्माण संहिता विहित कर सकेगी;

(थ) ऊर्जा संरक्षण निर्माण संहिता में, उन्हें क्षेत्रीय और स्थानीय जलवायु की दशाओं के अनुरूप बनाने के लिए संशोधन कर सकेगी;

(द) अभिहित उपभोक्ता के रूप में भवन या भवन प्रक्षेत्र के स्वामी या अधिभोगी को ऊर्जा के दक्ष उपयोग और उसके संरक्षण के लिए ऊर्जा संरक्षण निर्माण संहिता के उपबंधों का पालन करने का निदेश दे सकेगी;

*   *   *   *   *   *

ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र जारी करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।

14क. (1) केन्द्रीय सरकार, ऐसे अभिहित उपभोक्ता को ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र जारी कर सकेगी, जिसकी ऊर्जा की खपत उस प्रक्रिया के अनुसार जो विहित की जाए, विहित मानों और मानकों से कम है ।

(2) ऐसा अभिहित उपभोक्ता, जिसकी ऊर्जा खपत विहित मानों या मानकों से अधिक है, विहित मानों और मानकों का अनुपालन करने के लिए ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र क्रय करने का हकदार होगा ।

*   *   *   *   *   *

अध्याय 6

ऊर्जा के दक्ष उपयोग और उसके संरक्षण को सुकर बनाने और प्रवर्तित करने की राज्य सरकार की शक्ति

ऊर्जा के दक्ष उपयोग और उसके संरक्षण के लिए कतिपय उपबंधों को प्रवर्तित करने की राज्य सरकार की शक्ति ।

15. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ब्यूरो के परामर्श से—

(क) ऊर्जा संरक्षण निर्माण संहिता का, उसको क्षेत्रीय और स्थानीय जलवायु दशाओं के अनुरूप बनाने के लिए, संशोधन कर सकेगी और उसके द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा भवनों में ऊर्जा के उपयोग के संबंध में ऊर्जा संरक्षण निर्माण संहिता को विनिर्दिष्ट और अधिसूचित कर सकेगी;

(ख) अभिहित उपभोक्ता के रूप में भवन या भवन प्रक्षेत्र के स्वामी या अधिभोगी को ऊर्जा संरक्षण निर्माण संहिता के उपबंधों का पालन करने का निदेश दे सकेगी;

*   *   *   *   *   *

16. (1) राज्य सरकार राज्य के भीतर ऊर्जा के दक्ष उपयोग और उसके संरक्षण के संप्रवर्तन के प्रयोजनों के लिए निधि का गठन करेगी जिसे राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि कहा जाएगा । राज्य सरकार द्वारा निधि की स्थापना ।

(2) निधि में वे सभी अनुदान और उधार जमा किए जाएंगे जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या अन्य संगठन या व्यष्टि द्वारा दिए जाएंगे ।

(3) निधि का उपयोजन इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए उपगत व्ययों को पूरा करने के लिए किया जाएगा ।

(4) उपधारा (1) के अधीन सृजित निधि का ऐसे व्यक्तियों या किसी प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति में प्रशासन किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए ।

*   *   *   *   *   *

अध्याय 8

शास्तियां और न्यायनिर्णयन

26. (1) यदि कोई व्यक्ति धारा 14 के खंड (ग), खंड (घ) या खंड (ज) या खंड (झ) या खंड (ट) या खंड (ठ) या खंड (द) या खण्ड (ध) अथवा धारा 15 के खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (ज) के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहेगा तो वह ऐसी प्रत्येक असफलता के लिए ऐसी शास्ति का जो दस लाख रुपए से अधिक नहीं होगी और असफलता जारी रहने की दशा में ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, ऐसी अतिरिक्त शास्ति का जो [2][दस हजार रुपए] तक की हो सकेगी, दायी होगा : शास्ति ।

परन्तु कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पांच वर्ष के भीतर शास्ति देने का भागी होगा ।

(1क) यदि कोई व्यक्ति, धारा 14 के खंड (ढ) के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहेगा तो वह ऐसी शास्ति का जो दस लाख रुपए से अधिक की नहीं होगी और असफलता जारी रहने की दशा में ऐसी अतिरिक्त शास्ति का जो इस अधिनियम के अधीन विहित ऊर्जा के समतुल्य तेल के प्रति मीटरी टन मूल्य से कम की नहीं होगी, अर्थात्, जो विहित मानकों से अधिक होगी, दायी होगा ।

(2) इस धारा के अधीन संदेय कोई रकम, यदि उसका संदाय नहीं किया गया है, ऐसे वसूल की जाएगी मानो वह भू-राजस्व की कोई बकाया हो ।

*   *   *   *   *   *

52. धारा 14 के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट उपस्कर या साधित्र का प्रत्येक अभिहित उपभोक्ता या विनिर्माता, ब्यूरो को ऐसी जानकारी देगा और किसी उपस्कर या साधित्र सूचना अभिप्राप्त करने की शक्ति ।

के संबंध में उपयोजित किसी सामग्री या पदार्थ के ऐसे नमूने देगा जिनकी ब्यूरो द्वारा अपेक्षा की जाए ।

* * * * * *

नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।

56. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे—

* * * * * *

(ठ) धारा 14 के खंड (त) के अधीन ऊर्जा संरक्षण निर्माण संहिता;

* * * * * *

नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति ।

57. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 15 के खंड (क) के अधीन ऊर्जा संरक्षण निर्माता संहिता;

* * * * * *

(ग) वह व्यक्ति या ऐसा कोई प्राधिकारी जो धारा 16 की उपधारा (4) के अधीन निधि का प्रशासन करेगा और वह रीति जिसमें यह निधि प्रशासित की जाएगी;

* * * * * *